न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 16/2006

1 ग्यारसी देवा बेवा ग्यारसीलाल (नाम हजफ)
2 बरजी बेवा महावीर
3 बिमला पुत्री महावीर पत्नी कैलाश
4 कैलाश पुत्र महावीर
5 रोहिताश पुत्र महावीर
6 किशन पुत्र महावीर
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 कमलेश पुत्र महावीर नाबालिगान जरिये माता बरजी
8 फुलाराम पुत्र ग्यारसीलाल मृत
8/1 नाथी देवी बेवा फुलाराम
8/2 इन्द्राज पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी शेजीपुरा तहसील हनुमानगढ़ राज.।
8/3 शिमली पुत्री फुलाराम पत्नी रामनाथ
8/4 पुष्पा पुत्री फुला पत्नी मेघाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
8/5 सोनू पुत्री फुला पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी 42 चक पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8/6 सुनिता स्त्री स्व. राजु जाति जाट निवासी शेजीपुरा हनुमानगढ़
8/7 संजु पुत्र राजु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुनिता स्त्री स्व. राजु जाट निवासी शेजीपुरा तहसील हनुमानगएत्र जिला हनुमानगढ़।
9 बनवारी मृत
9/1 मणी देवी स्त्री बनवारीलाल
9/2 सुरेश
9/3 महेन्द्र
9/4 महेश
9/5 केशु
9/6 प्रताप
पुत्रगण स्व. बनवारी समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9/7 संतरा पुत्री बनवारी पत्नी सुशील जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 सुरजा
11 प्रभु
12 बिदामी
13 संतोष
पुत्रगण व पुत्रियां स्व. ग्यारसीलाल जाति जाट निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 रामेश्वर मृत
1/1 श्रीमती कमला स्त्री स्व. रामेश्वर
1/2 दिनेश पुत्र स्व. रामेश्वर
1/3 सुरेश पुत्र स्व. रामेश्वर
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
1/4 इन्द्रा पुत्री स्व. रामेश्वर स्त्री किशनलाल जाति जाट निवासी ढाणी खंडेला तन गढ टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
1/5 मन्जु पुत्री स्व. रामेश्वर स्त्री रामचन्द्र दूधवाल जाति जाट निवासी दूधवालों का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 सांवल मृत
2/1 बसंती स्त्री सांवलराम
2/2 राजु
2/3 किशनलाल
2/4 सीताराम
पुत्रगण सांवलराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी तन भोपालपुरा बन्धनाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2/5 अणची पुत्री स्व. सांवलराम स्त्री बालाराम सैनी निवासी श्यामी की ढाणी तन भोपालपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/6 श्रीमती बिमला पुत्री सांवलराम स्त्री गीगाराम सैनी निवासी ढाल्यास जिला सीकर।
3 मोहन पुत्र महादेव जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी वाली तन गुहाला जिला सीकर।
4 भागोती पुत्री भोलु पत्नी मदनलाल
5 काली पुत्री भोलु पत्नी रतनलाल
6 तीजली
7 जयराम
8 छोटू
9 मुन्नी
10 शंकर पुत्रगण व पुत्रियां भोलू
11 गिरधारी
12 संतोष
पुत्रगण महादेव जाति माली निवासीगण ढाणी डूंगरीवाली तन गुहाला जिला सीकर।
13 चौथू पुत्र तुगल्या जाति माली निवासी ढाणी डूंगरीवाली तन गुहाला जिला सीकर।
14 माल्या पुत्र जुगल्या मृतक
14/1 संतोष पत्नी माल्या
14/2 सुभाष चन्द मृत
14/2/1 प्रकाशी देवी पत्नी स्व. सुभाष
14/2/2 राहुल सैनी पुत्र स्व. सुभाष
14/2/3 पिन्टु सैनी पुत्र स्व. सुभाष
14/3 अमरचन्द
14/4 मक्खनलाल
14/5 सुरेश चन्द
पुत्रगण माल्या जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14/6 सुमन पुत्री माल्या पत्नी सोहन लाल सैनी निवासी खेखली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
14/7 पिंकी पुत्री माल्या स्त्री भोमाराम सैनी निवासी खेखली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 प्रभु पुत्र जुगल्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एंव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 मु. सुरजी बेवा जुगल्या
समस्त जाति माली निवासी ढाणी डूंगरी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
17 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 13.01.2006
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना बसिलसिले
मुकदमा उनवानी ग्यारसी आदि बनाम रामेश्वर आदि मु.नं.
98/91 दावा बाबत इस्तकरार हक तकास्मा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा। अपील अ. धारा 223 रा.टि.एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनलाल शर्मा , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री शम्भुदयाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 22/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 98/91 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 वाके ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (राजस्थान)

का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1993 लगायत 2003, 2005, 2006 कुल किता 13 रकबा 36 बीघा 11 बिश्वा तन ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना के अपीलान्टान 1/2 भाग के खातेदार काश्तकर है जिसेक वे कदीम से काश्त करते आ रहे है व काबिज है। रिछपाल ने विवादित भूमि कभी काश्त नहीं की व न कभी उसका कब्जा रहा बल्कि पैमाईश के पूर्व से ही उक्त 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट का पूर्वज ग्यारसीलाल काबिज काश्त चला आ रहा था। जिसका अंकन खसरा गिरदावरियों में होता रहा है। स्व. नारायणदास व रिछपाल का नाम खातेदारी में गलती से अंकित हो गया जबकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानुसार खातेदारी अपीलान्टान के पूर्वज ग्यारसीलाल के हक में अंकित होनी चाहिए थी, नारायणदास के उक्त भूमि केवल मापी में थी। स्व. रिछपाल अपीलान्ट के परिवार से था जो साधू बन गया था परन्तु वह अपीलान्टान के पूर्वज ग्यारसीलाल के साथ ही रहता था व वही उसकी सेवा सुश्रुषा करता था। रिछपाल की मृत्यु पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामेश्वर ने अपने आपको अवैध तरीके से स्व. रिछपालदास का वारिस बताते हुये अवैध नामान्तकरण अपने पक्ष में करवा लिया जबकि न तो वह नारायणदास का चैला है न कभी उसने मंदिर की सेवा पूजा की है बल्कि वह एक गृहस्थी व्यक्ति है जो अपने परिवार सहित दूसरी भूमि में रहता है अपीलान्टान की साक्ष्य से सभी तथ्य पूर्णतया साबित होते हुये अपीलान्टान का दावा डिक्री किया जाने योग्य होते हुये भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टान का दावा खारिज करने में गलती की है। अपीलान्टान के दावे का रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब व दावा प्रस्तुत करने पर दावा व जवाब दावे के तथ्यों अनुसार कुल नौ तनकीयात कायम की गई थी परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी तनकी का निर्णय नही किये बिना ही अपनी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

मर्जी मुताबिक विरूद्ध कानून निर्णय व डिकी पारित कर अपीलान्टान का दावा खारिज करने में गलती की है। अपीलान्टान की साक्ष्य के अलावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामेश्वर की साक्ष्य से भी अपीलान्टान का कब्जा विवादित आराजियात के 1/2 भाग पर साबित होते है। विचारण न्यासयालय द्वारा दावे की सुनवाई के दौराने नियुक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी अपीलान्टान का कब्जा बखूबी साबित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामेश्वर एक गृहस्थी व्यक्ति है जो मय परिवार दूसरी भूमि पर आबाद है तथा वह नारायणदास का कभी चेला नहीं रहा है ओर न कभी रिछपालदास व नारायण दास का उत्तराधिकारी है बल्कि वह अपने पिता मांगू की सम्पत्ति पर काबिज है जिसका जमाबन्दी में भी इन्द्राज है तथा यह तथ्य पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य से भी साबित होते हुये भी विचारण न्यायालय ने उसे रिछपाल का उत्तराधिकारी मानकर अपीलान्टस का दावा खारिज करने में गलती की है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1985 पेज 736, सीजे सिविल राज. 2022(1) पेज 462 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 वाके ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। प्रस्तुत दस्तावेज **Ex** –1 जमाबंदी संवत 2041 से 44 ग्राम गुहाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1993 लगायत 2003 व 2005, 2006 कुल किता 13 रकबा 36 बीघा 10 बिश्वा की खातेदारी महादेव, जगला पुत्रगण बोदू हिस्सा 1/2 कौम माली, रिछपालदास चेला नारायण दास हिस्सा 1/4 कौम स्वामी महावीर प्रसाद, फुलचन्द पुत्र बनवारी लाल, सुरजा पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा 1/4 कौम जाट सा.देह ढाणी डूगरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2009 से 20 में भी वादीगण के पूर्वजों का नाम केवल एक वर्ष की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गिरदावरी में बतौर शिकमी काश्तकार दर्ज है। इसके अलावा वादीगण के ऐसा कोई रिकार्डेड दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादीगण का वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कदीमी कब्जे काश्त होने की पुष्टि होती हो। कमीश्नर रिपोर्ट को भी कब्जे का आधार नहीं माना जा सकता। वैसे भी वादी वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है एवं सहखातेदारी की भूमि में एडवर्स पजेशन लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 वाके ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1993 लगायत 2003, 2005, 2006 कुल किता 13 रकबा 36 बीघा 11 बिश्वा तन ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना के अपीलान्टान 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट का कथन है कि रिछपाल ने विवादित भूमि कभी काश्त नहीं की व न कभी उसका कब्जा रहा बल्कि पैमाईश के पूर्व से ही उक्त 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट का पूर्वज ग्यारसीलाल काबिज काश्त चला आ रहा था। जिसका अंकन खसरा गिरदावरियों में होता रहा है। स्व. नारायणदास व रिछपाल का नाम खातेदारी में गलती से अंकित हो गया जबकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानुसार खातेदारी अपीलान्टान के पूर्वज ग्यारसीलाल के हक में अंकित होनी चाहिए थी, नारायणदास के उक्त भूमि केवल माफी में थी।

स्व. रिछपाल अपीलान्ट के परिवार से था जो साधू बन गया था परन्तु वह अपीलान्टान के पूर्वज ग्यारसीलाल के साथ ही रहता था व वही उसकी सेवा सुश्रुषा करता था। रिछपाल की मृत्यु पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामेश्वर ने अपने आपको अवैध तरीके से स्व. रिछपालदास का वारिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बताते हुये अवैध नामान्तकरण अपने पक्ष में करवा लिया जबकि न तो वह नारायणदास का चैला है न कभी उसने मंदिर की सेवा पूजा की है बल्कि वह एक गृहस्थी व्यक्ति है जो अपने परिवार सहित दूसरी भूमि में रहता है अपीलान्टान की साक्ष्य से सभी तथ्य पूर्णतया साबित होते हुये अपीलान्टान का दावा डिक्री किया जाने योग्य होते हुये भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्टान का दावा खारिज करने में गलती की है।

अपीलान्टान के दावे का रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जवाब व दावा प्रस्तुत करने पर दावा व जवाब दावे के तथ्यों अनुसार कुल नौ तनकीयात कायम की गई थी परन्तु विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी तनकी का निर्णय नही किये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलान्टान का दावा खारिज करने में गलती की है।

विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 की पालना में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन व विश्लेषण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल [illegible])
भू–प्रब[illegible]
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर